आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department

National Family Benefit Scheme (Maharashtra)

मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने वाले गरीब परिवार के लिए एक बार की आर्थिक मदद।

क्या मिल सकता है

मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर, दुर्घटना से हो या स्वाभाविक कारण से, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को एक बार 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता।

किसके लिए है

BPL परिवार, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य (18 से 59 वर्ष) की मृत्यु हो गई हो।

मुख्य शर्तें

- परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो।
- मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र 18 से 59 वर्ष हो।

आवेदन कैसे करें

1. कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा या तलाठी कार्यालय में आवेदन जमा करें।
2. पेज पर दिया पोर्टल nsap.nic.in (अब nsap.dord.gov.in) है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/national-family-benefit-scheme/
आधिकारिक आवेदन: https://nsap.dord.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-national-family-benefit-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।